न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु० सीकर

जगन्नाथ V/s TDR धोद   मु.न. 59/2020

प्रा.पत्र अ.धा. 136 एलआर एक्ट मु.सं. 59/2020 उनवान जगन्नाथ प्रसाद बनाम तहस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता जारी हुए
19.02.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम सांवलोदा धायलान तहसील धोद के खाता सं. 289 के खसरा सं. 228 रकबा 1.2500 हेक्टेयर, खसरा सं. 229 रकबा 1.2400 हेक्टेयर, खसरा सं. 230 रकबा 1.2700 हेक्टेयर, खसरा सं. 231 रकबा 1.2700 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.0300 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगनाराम पुत्र तनसुख अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम जगन्नाथ प्रसाद पुत्र तनसुख है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम जगन्नाथ प्रसाद पुत्र तनसुख अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जगनाराम पुत्र तनसुख के स्थान पर जगन्नाथ प्रसाद पुत्र तनसुख दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "मजमें आम में पूछताछ में बताया गया कि जगन्नाथ प्रसाद पुत्र तनसुख तथा जगनाराम पुत्र तनसुख एक ही व्यक्ति के दो नाम है। राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में जगनाराम पुत्र तनसुख जाति जांगिड़ दर्ज है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, राशनकार्ड में जगन्नाथ/जगन्नाथ प्रसाद पुत्र तनसुख अंकित है। राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शुद्ध का जगन्नाथ प्रसाद पुत्र तनसुख किया जाना उचित है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सांवलोदा धायलान तहसील धोद के खाता सं. 289 के खसरा सं. 228 रकबा 1.2500 हेक्टेयर, खसरा सं. 229 रकबा 1.2400 हेक्टेयर, खसरा सं. 230 रकबा 1.2700 हेक्टेयर, खसरा सं. 231 रकबा 1.2700 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.0300 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का जगनाराम पुत्र तनसुख के स्थान पर जगन्नाथ प्रसाद पुत्र तनसुख दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी [illegible] होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय [illegible] आम [illegible] अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। [illegible] फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Mithlesh Kumar Date: 2021.02.26 16:17:15 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद मु० सीकर	